राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक 4.2(5)गृह 5/2017 जयपुर, दिनांक : 03-11-2017

साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों एवं आतंकवादी गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम, 2017

राज्य में साम्प्रदायिक, गैर–साम्प्रदायिक दंगों एवं आतंकवादी गतिविधियों आदि में मृत व्यक्ति के परिजनों, शारीरिक/सम्पत्ति के नुकसान के संबंध में मुआवजा के रूप में जीवन यापन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों एवं आतंकवादी गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम, 2008 के अतिक्रमण में राज्य सरकार निम्नानुसार नियम (योजना) बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :–**

i ये नियम साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों एवं आतंकवादी गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम, 2017 कहलायेंगे।

ii ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ :–**

i "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

ii "विभाग" से तात्पर्य राजस्थान सरकार के गृह विभाग से अभिप्रेत है।

iii "साम्प्रदायिक दंगा" से तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें दो संप्रदायों के मध्य विवाद के दौरान आपसी संघर्ष में जन–धन की क्षति हुई है। नितांत व्यक्तिगत विवाद में जन–धन की हानि के प्रकरण सम्मिलित नहीं है।

iv "सामाजिक उपद्रव की घटना" से तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें दो समुदायों या समूहों के बीच संघर्ष के दौरान जन–धन की क्षति होती है। नितांत व्यक्तिगत विवाद के दौरान जन–धन की हानि के प्रकरण सम्मिलित नहीं है।

v "आतंकवादी गतिविधियों" से तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें आतंकवादी हमलों से जन–धन की क्षति हुई हो।

vi "स्थायी निःशक्तता" से निम्नलिखित प्रकार की उपहतियाँ (Hurts) अभिप्रेत है:–

(अ) पुंसत्वहरण (Emasculation)।
(ब) दोनों नेत्रों की दृष्टि का स्थायी विच्छेद।
(स) दोनों कानों की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद।
(द) किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद।
(य) किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थाई ह्रास।

vii "अस्थायी निःशक्तता" से निम्नलिखित प्रकार की उपहतियाँ (Hurts) अभिप्रेत है:–

(अ) दोनों में से किसी भी एक नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद।
(ब) दोनों में से किसी भी एक कान की श्रवण–शक्ति का स्थायी विच्छेद।
(स) किसी भी अंग या जोड़ का अस्थाई विच्छेद।

Scanned with OKEN Scanner

(घ) किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का अस्थाई ह्रास।

(ङ) सिर या चेहरे का स्थायी विरूपीकरण (Disfiguration)।

viii गंभीर उपहतियों (Hurts) से मृत्यु और स्थाई तथा अस्थाई निःशक्तता के सिवाय अन्य उपहतियों (Hurts) अभिप्रेत है।

ix आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु पात्रता" मृत्यु होने, घायल होने अथवा सम्पत्ति का नुकसान होने पर मृतक के आश्रित, घायल व्यक्ति स्वयं एवं सम्पत्ति के मालिक मुआवजा के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत है।

x "सक्षम अधिकारी" आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी है।

3. आर्थिक सहायता – मापदण्ड :–

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	मृत्यु (परिवार का वह सदस्य कमाने वाला या नहीं कमाने वाला हो सकता है)	5,00,000
2.	स्थायी अशक्तता (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (परिवार का वह सदस्य कमाने वाला या नहीं कमाने वाला हो सकता है) (ख) जहॉ असमर्थता 100 प्रतिशत से कम हो परिवार का ये सदस्य कमाने वाला या नहीं कमाने वाला हो सकता है) (i) असमर्थता शत प्रतिशत से कम परन्तु 50 प्रतिशत से अधिक होने पर (ii) अःशक्तता 50 प्रतिशत से कम होने पर	2,00,000 1,00,000 50,000
3.	अस्थायी अशक्तता/क्षति	1,00,000
4.	साधारण दुर्घटना	25,000(अधिकतम)
5.	गंभीर रूप से घायल (स्थायी/अस्थायी अशक्तता के अतिरिक्त)	2,00,000
6.	घर/दुकान की संरचना का पूर्ण रूप से नुकसान	75,000 तक
7.	घर/दुकान की संरचना का आंशिक रूप से नुकसान	10,000 तक़
8.	आगजनी अथवा अन्यथा कृषि सम्पत्ति/चल सम्पत्ति अथवा दुकान में रखे सामान को नुकसान	5,000
9.	जीविकोपार्जन हेतु मोटरयान, नाव अथवा बैलगाड़ी/ऊँटगाड़ी इत्यादि का नुकसान	5,000

बजट मद जिससे भुगतान किया जावेगा :–

2235 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
60 – अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम
200 – अन्य योजनाएँ
(02) – बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता
12 – सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहायय (राज्य निधि)

Scanned with OKEN Scanner

आर्थिक सहायता हेतु पात्रता :–

साम्प्रदायिक दंगे या सामाजिक उपद्रव या आतंकवादी गतिविधियों की घटना के दौरान मृत्यु होने की दशा में यह सहायता मृतक के आश्रित को देय होगी। व्यक्तिगत विवाद के कारण दंगा-फसाद की हानि संबंधी प्रकरणों में प्रभावित व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।

ii योजना के तहत आश्रित से तात्पर्य पीड़ित के पति या पत्नि, बालक, माता–पिता, भाई और बहन अभिप्रेत है। जो भरण पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित है।

iii इसी प्रकार साम्प्रदायिक दंगा या सामाजिक उपद्रव या आतंकवादी गतिविधियों की घटना के दौरान स्थायी/अस्थायी अशक्तता, गंभीर रूप से घायलों को स्वयं को आर्थिक सहायता देय होगी। साथ ही घर व दुकान को पूर्ण एवं आंशिक क्षति आगजनी अथवा अन्यथा कृषि सम्पत्ति/चल सम्पत्ति अथवा दुकान में रखे सामान की क्षति एवं जीविकोपार्जन के साधन यथा मोटरयान, नाव, बैलगाड़ी/ऊँटगाड़ी इत्यादि को नुकसान के सन्दर्भ में संबंधित को आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी।

5. **आर्थिक सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया :–**

i सामान्य परिस्थितियों में जिला कलेक्टर द्वारा मांग के अनुसार अपने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भिजवाये जायेगें तथा गृह विभाग से प्रावधान स्वीकृत होने पर आवश्यक स्वीकृति जारी की जाकर सम्बन्धित व्यक्ति/उसके परिजन को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित बजट मद जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है से भुगतान किया जायेगा।

ii जिला कलेक्टर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अधीन जिन मदों के अन्तर्गत राशि स्वीकृत करने हेतु अधिकृत है, उसमें आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में आवश्यक स्वीकृति जारी कर जिलाधीश कार्यालय में उपलब्ध अन्य आकस्मिक कोष से राशि का भुगतान किया जाकर तत्काल प्रस्ताव गृह विभाग को भिजवा दिये जाये ताकि आवश्यक प्रावधान सम्बन्धित बजट मद में वित्त विभाग से कराया जाकर राशि का पुर्नभरण सम्बन्धित कोष को किया जा सकें।

iii आर्थिक सहायता का संवितरण बैंक खाते से जुड़े आधार के माध्यम से किया जायेगा।

iv पीड़ित की पहचान हेतु सम्बन्धित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी एवं अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर को प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी के अनुशंषा आदि 7 दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

v जिला कलक्टर आवश्यक रिपोर्ट एवं दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात 15 दिवस के भीतर योजना में निर्धारित प्रकिया के अनुसार आर्थिक सहायता स्वीकृति के आदेश जारी करेंगे।

vi पीड़ित को किसी अन्य योजना या अधिनियम के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता इस योजना के अधीन स्वीकृत सहायता का एक भाग समझा जायेगा तथा इस योजना के तहत नियमानुसार प्रदत्त सहायता राशि में से कम कर दी जायेगी।

vii विशेष परिस्थितियों में यदि आकस्मिक कोषों से इस प्रकार का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर आवश्यक स्वीकृति जारी कर भुगतान की कार्यवाही करें लेकिन यह सुनिश्चित किया जाये कि जिस बजट मद से विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति जारी की जाकर यदि कोई भुगतान किया गया है तो उस राशि का बजट में प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष में करा लिया गया है ताकि आडिट आक्षेपों से बचा जा सकें।

Scanned with OKEN Scanner

योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन :–

इस योजना के क्रियान्वयन मोनिटरिंग एवं जिला कलेक्टर्स को बजट आवंटन की कार्यवाही गृह विभाग द्वारा की जायेगी।

7. नियमों में शिथिलता :–

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी।

इन नियमों के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101704828 दिनांक 18–09–2017 से सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(दीपक उपेती)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, लोक नायक भवन, 5वीं मंजिल, खान मार्केट, नई दिल्ली।
3. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
10. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
11. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
12. विशिष्ठ सहायक, गृहमंत्री, राजस्थान।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
14. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग, जयपुर।
15. वरिष्ठ उप शासन सचिव, गृह (समन्वय) विभाग, जयपुर।
16. लेखाधिकारी, गृह विभाग, जयपुर।

वरिष्ठ उप शासन सचिव–सुरक्षा

Scanned with OKEN Scanner